

बनाम

जज

नम्बर
अहक
हकूम
में

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 350 सन 2015

अनवान :-

1. सन्तलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र गुजरसिंह जाति जटसिंह निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. समत देवी पत्नि बजरंगलाल जाति छाजेड निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 11.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मोजा 5 आरएमजी के खाता संख्या 106/107 की कुल 134100 हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में दर्ज है कोई भी सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार कब्जा काश्त के मध्यनजर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अर्थात वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से तजबीज तकसीम की रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 2819 दिनांक 14.06.2018 के द्वारा तजबीज तकसीम की रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की जाकर वकील वादी का सुना गया।

वकील वादी ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत की गई तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सयुक्त खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग अलग करवाने में सहमत है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर वादी सहमत है अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मदनलाल पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर खातेदार रोही मोजा चक 14 बरानी के प0न0 मु0न0 315/429(15) किला न0 16/2 की 0.018 ,17 की 0.114 ,25/1 की 0.075 ,प0न0 316/429(16) किला न0 20/2 की 0.017 ,21/1 की 0.075, प0न0 316/430(31) किला न0 8/2 की 0.0949 हैक् , 13 ,18/0.506 हैक् , 23/2 की 0.1897 हैक् कुल 1.0896 हैक् बरानी प्रथम भूमि रहेगी।

सन्तलाल पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन 22 एनटीआर खातेदार रोही मोजा चक 14 बरानी के प0न0 315/429(15) किला न0 15/0.152 ,16/1 की 0.210 ,प0न0

दि

A4

VEER'S PR

No. 222

बनाम

जज

नम्बर
अहक
हकूम
में

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 350 सन 2015

अनवान :-

1. सन्तलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र गुजरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. समत देवी पत्नि बजरंगलाल जाति छाजेड निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 11.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मोजा 5 आरएमजी के खाता संख्या 106/107 की कुल 134100हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में दर्ज है कोई भी सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार कब्जा काश्त के मध्यनजर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अर्थात वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से तजबीज तकसीम की रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 2819 दिनांक 14.06.2018 के द्वारा तजबीज तकसीम की रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की जाकर वकील वादी का सुना गया।

वकील वादी ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत की गई तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सयुक्त खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग अलग करवाने में सहमत है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर वादी सहमत है अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मदनलाल पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर खातेदार रोही मोजा चक 14 बारानी के प0न0 मु0न0 315/429(15) किला न0 16/2 की 0.018 ,17 की 0.114 ,25/1 की 0.075 ,प0न0 316/429(16) किला न0 20/2 की 0.017 ,21/1 की 0.075, प0न0 316/430(31) किला न0 8/2 की 0.0949हैक , 13 ,18/0.506हैक , 23/2 की 0.1897हैक कुल 1.0896हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी।

सन्तलाल पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन 22 एनटीआर खातेदार रोही मोजा चक 14 बारानी के प0न0 315/429(15) किला न0 15/0.152 ,16/1 की 0.210 ,प0न0


A4

316/429(16) किला न० 20/1 की 0.236 ,प०न० 316/430(31) किला न० 11 ,12/0.506हैक् , 19 ता 22 /1.012हैक् , 23/1 की 0.0633हैक् , कुल 2.1793हैक् बाराणी प्रथम भूमि रहेगी ।

सम्पतदेवी पत्नी बजरंगलाल जाति छाजेड साकिन नोहर खातेदार रोही मौजा चक 14 बाराणी के प०न०मु०न० 315/430(32) किला न०. 8/0.228 ,7/1 की 0.071 ,प०न० 316/430(31) किला न० 25/2 की 0.0316 ,प०न० 317/430(30) किला न० 21 ता 23/0.759 , कुल 1.08960हैक् बाराणी प्रथम भूमि रहेगी ।

मेजरसिंह बलजीतसिंह तलबिन्द्रसिंह पि० बलवन्तसिंह , गुरुचरणसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान खातेदार रोही मौजा चक 14 बाराणी के प०न०मु०न० 315/429(15) किला न० 24/0.152 ,25/2 की 0.178 ,प०न० 316/429(16) किला न० 21/2 की 0.178हैक् , 23 ,24 की 0.506 , प०न० 315/430(32) किला न० 4 ,5/0.506 , 7/2 की 0.182हैक् प०न० 316/430(31) किला न०. 3 ,4 ,6 ,7 /1.0120हैक् 8/1 की 0.1581हैक् 14 ता 17/1.0120हैक् 24/0.253 ,25/1 की 0.2214हैक् कुल 4.3585हैक् बाराणी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानमठ)